


**बिहार सरकार**  
**मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग**

**अधिसूचना**


सचिका संख्या-3/सी०एस०/एम०-11/2014.....246...../पटना-15, दिनांक- ...2..... जून, 2014  
भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 (1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत श्री गौतम सिंह, मंत्री,  
सूचना एवं प्रवैद्यिकी विभाग दिनांक-02.06.2014 के अपराहन के प्रभाव से राज्य के मंत्री तथा श्री जीतन  
राम मांझी, मुख्य मंत्री के मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं रहे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(अशोक कुमार सिन्हा)  
मुख्य सचिव


ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-11/2014.....246..... पटना-15, दिनांक .....2..... जून, 2014

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के  
प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी मंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव/  
सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(ब्रजेश मेहरोत्रा)  
सरकार के प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-11/2014.....246..... पटना-15, दिनांक .....2..... जून, 2014

प्रतिलिपि :-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(ब्रजेश मेहरोत्रा)  
सरकार के प्रधान सचिव


ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-11/2014.....246..... पटना-15, दिनांक .....2..... जून, 2014.

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

  
(ब्रजेश मेहरोत्रा)  
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-3/सी०एस०/एम०-11/2014.....246..... पटना-15, दिनांक .....2..... जून, 2014.

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

  
(ब्रजेश मेहरोत्रा)  
सरकार के प्रधान सचिव